

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, राजगीर।

पटना, दिनांक-

20/1/15

विषय:- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के असंबद्ध अनुदान की राशि से नगर पंचायत, राजगीर अंतर्गत सूरज कुंड के पास विवाह भवन के निर्माण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की राशि से कार्यन्वित की जाने वाली योजना का प्राक्कलन अधीक्षण अभियंता को तकनीकी अनुमोदन हेतु भेजा गया। अधीक्षण अभियंता, बुडा के पत्रांक-25 दिनांक-07.01.2015 द्वारा निम्नांकित योजना के प्राक्कलन पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति का अनुरोध किया गया है। उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख रु० में)

क्र०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	आवंटित राशि	तकनीकी स्वीकृति की राशि	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत राजगीर	नगर पंचायत राजगीर में सूरज कुंड के पास विवाह भवन का निर्माण कार्य।	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के असंबद्ध अनुदान की राशि	72.02	72.02

2. योजना का कार्यान्वयन नगर पंचायत राजगीर द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के असंबद्ध अनुदान की उपलब्ध राशि से कराया जायेगा।
3. उपर्युक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई है कि भूमि के स्वामित्व के संबंध में नगर पंचायत स्वयं संतुष्ट होने के बाद निर्माण कार्य आरम्भ करेगा।

विश्वासभाजन

19.1.15

सरकार के विशेष सचिव



बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, राजगीर।

पटना, दिनांक-

विषय:- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के असंबद्ध अनुदान की राशि से नगर पंचायत, राजगीर अंतर्गत सूरज कुंड के पास विवाह भवन के निर्माण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की राशि से कार्यन्वित की जाने वाली योजना का प्राक्कलन अधीक्षण अभियंता को तकनीकी अनुमोदन हेतु भेजा गया। अधीक्षण अभियंता, बुडा के पत्रांक-25 दिनांक-07.01.2015 द्वारा निम्नांकित योजना के प्राक्कलन पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति का अनुरोध किया गया है। उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख रु० में)

क्र०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	आवंटित राशि	तकनीकी स्वीकृति की राशि	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत राजगीर	नगर पंचायत राजगीर में सूरज कुंड के पास विवाह भवन का निर्माण कार्य।	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के असंबद्ध अनुदान की राशि	72.02	72.02

- योजना का कार्यान्वयन नगर पंचायत राजगीर द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के असंबद्ध अनुदान की उपलब्ध राशि से कराया जायेगा।
- उपर्युक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई है कि भूमि के स्वामित्व के संबंध में नगर पंचायत स्वयं संतुष्ट होने के बाद निर्माण कार्य आरम्भ करेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

/पटना, दिनांक-20/11/15

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु० 03-09/2014 429 /न०वि०एवंआ०वि०
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालन्दा/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग/ कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, नालन्दा/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार पटना/विभागीय एम०आई०एस० सेल, इन्दिरा भवन, पटना को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के अनुश्रवण हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2(बजट शाखा)/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव



57